वारदात | पुलिस गश्त पर उठे सवाल, मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ किया

शटर तोड़कर मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी

डिंडौरी, नवभारत 29 जून। जिला मुख्यालय के पुरानी डिंडौरी बस स्टैंड क्षेत्र में रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपये के मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ कर दिया।

घटना के बाद व्यापारियों में चिंता का माहौल है, वहीं शहर की रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकारी के अनुसार, पुरानी बस स्टैंड क्षेत्र स्थित रोशन मोबाइल दुकान को देर रात चोरों ने निशाना बनाया।

पहले पंचर की दुकान में लगाई सेंध

बताया जा रहा है कि चोरों ने सबसे पहले समीप स्थित एक पंचर दुकान में सेंध लगाई, जहां से सब्बल सहित लोहे के औजार चोरी किए। इन्हीं औजारों की मदद से मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कीमती मोबाइल फोन व अन्य सामान लेकर फरार हो गए।

चोरी गए सामान की कीमत का आंकलन नहीं हो पाया

सोमवार सुबह दुकान संचालक जब दुकान पहुंचा तो शटर टूटा देखकर घटना की जानकारी हुई। इसके बाद तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल चोरी गए सामान की वास्तविक कीमत का आकलन दुकान के स्टॉक मिलान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

घटना शहर के व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्र में हुई है, जिससे रात्रिकालीन गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि मुख्य बाजार क्षेत्र में इस तरह की वारदात चिंता का विषय है और पुलिस को रात्रि गश्त अधिक प्रभावी बनानी चाहिए। कोतवाली पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

रविवार देर रात दो मुस्लिम पक्षों में विवाद

▸ दोनों की ओर से एफआईआर दर्ज, कई लोग हुए घायल

डिंडौरी, नवभारत 29 जून। जिला मुख्यालय के सुभाष वार्ड स्थित राम मंदिर के समीप रविवार देर रात दो मुस्लिम पक्षों के बीच हुए विवाद ने तनाव की स्थिति पैदा कर दी। घटना के बाद दोनों पक्षों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले पक्ष की ओर से कांग्रेस नेता जावेद इकबाल के पुत्र सोहेल ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि रविवार रात लगभग 10 बजे उनके चाचा डॉ. जफर इकबाल राम मंदिर के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान असर अली, सालु खान और अजहर ने कथित रूप से उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर बीच-बचाव के लिए पहुंचे जावेद इकबाल के साथ भी आरोपियों ने हाथापाई की और जान से मारने की धमकी दी।

एक घायल को जबलपुर किया गया रेफर

घटना में कई लोगों को चोटें आईं, जिनमें से एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उपचार के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। दूसरे पक्ष से हाजी अजहर ने भी सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, जफर इकबाल उनके घर के सामने पहुंचे और पुराने मस्जिद विवाद को लेकर उनके भाई सजर से बहस करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और जफर इकबाल, सोहेल, साहेब, जावेद इकबाल तथा जुबेद ने मिलकर उनके साथ मारपीट की।

बरसात से पहले पीएचई विभाग अलर्ट, क्लोरीनेशन अभियान शुरू

डायरिया सहित जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी ग्रामीण पेयजल स्रोतों को किया जा रहा सुरक्षित

शहपुरा नवभारत, 29 जून। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शहपुरा की प्री-मानसून तैयारी, वर्षाकाल में जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

वर्षा ऋतु में जलजनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग, शाहपुरा द्वारा व्यापक स्तर पर 'डायरिया रोको अभियान' संचालित किया जा रहा है। प्री-मानसून तैयारियों के तहत विकासखंड शाहपुरा एवं मेहंदवानी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन कराया जा रहा है, ताकि लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

जल स्रोतों की निगरानी के दिए निर्देश-विभाग द्वारा हैंडपंप, नल-जल योजनाओं के जल स्रोत, सार्वजनिक कुएं तथा अन्य पेयजल स्रोतों में निर्धारित मानकों के अनुसार क्लोरीन का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही मैदानी अमले को नियमित रूप से जल स्रोतों की निगरानी करने तथा आवश्यकता अनुसार क्लोरीनेशन दोहराने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान पूरे वर्षाकाल के दौरान लगातार जारी रहेगा।

बारिश में बढ़ता है जलजनित रोगों का खतरा-बारिश के मौसम में अक्सर जल स्रोतों के पानी दूषित होने से डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पेचिश सहित अन्य जलजनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने समय रहते यह पहल शुरू की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी फैलने की आशंका को कम किया जा सके।

नागरिकों से भी सहयोग की अपील की-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। विभाग ने कहा है कि लोग केवल स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल का उपयोग करें, पानी को साफ और ढंककर रखें तथा घरों के आसपास जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखें। यदि किसी क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर शिकायत हो या डायरिया जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग अथवा पीएचई विभाग को सूचना दें।

जिले के जोगीटिकरिया क्षेत्र में प्रदर्शन के कारण लगा जाम

▸ पुलिस की तत्परता से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल

डिंडौरी, नवभारत 29 जून। विगत दिवस जिले के जोगीटिकरिया क्षेत्र में प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाधित हुआ यातायात जिला प्रशासन एवं पुलिस की तत्परता से शांतिपूर्ण ढंग से बहाल कर दिया गया।

अधिकारियों की सक्रियता और प्रदर्शनकारियों से संवाद के बाद स्थिति सामान्य हो गई तथा आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोध की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आपसी समन्वय से प्रदर्शन समाप्त कराया। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सामान्य रूप से संचालित होने लगा।

सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होने पर मिलेगा पर्याप्त पानी

प्रशासन के अनुसार, प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर जिले के लगभग 80 प्रतिशत गांवों और 75 प्रतिशत किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन, कमलगट्टा उत्पादन और मोती उत्पादन जैसे स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। इसके अतिरिक्त जिले में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता बढ़ेगी और जल संकट की समस्या में भी कमी आने की संभावना है।

अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, गोटेगांव का आरोपी गिरफ्तार

नवभारत,जबलपुर। चरगवां पुलिस ने हनुमान मंदिर के सामने घेराबंदी कर अवैध रेत से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है और मौके से गोटेगांव निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

चरगवां थाना प्रभारी सरोजनी चौकसे ने बताया कि सूचना मिली थी कि मुरकटिया घाट में अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही अहमदपुर हनुमान मंदिर के सामने दबिश दी। इसी दौरान गोटेगांव की तरफ से चरगवां की ओर आ रहा एक आयशर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 49 ए 6716 पुलिस को आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी की और ट्रैक्टर को रोक लिया। जब ट्रैक्टर की ट्रॉली की तलाशी ली गई, तो वह अवैध रूप से उत्खनन की गई रेत से पूरी तरह लदी हुई पाई गई। पुलिस ने जब ट्रैक्टर चालक धीरेंद्र पिपरोलिया (25), निवासी ग्राम नोनी करेली, थाना गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के हिरासत में ले पूछताछ की ।रेत के परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका।

पूछताछ करने पर आरोपी ने कबूल किया कि वह अपने पिता के आयशर ट्रैक्टर में नोनी करेली से रेत चोरी कर उसे चरगवां ग्राम में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ला रहा था। आरोपी द्वारा अवैध रूप से रेत की चोरी और बिना अनुमति परिवहन किए जाने पर पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली मय रेत को मौके पर ही जब्त कर लिया।

लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें : कलेक्टर

▸ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित

डिंडौरी, नवभारत 29 जून। जिले में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विकास कार्यों में गति लाने तथा जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने लोक सेवा प्रबंधक को निर्देशित किया कि 5 जुलाई तक लंबित सभी प्रकरणों का संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर निराकरण सुनिश्चित कराया जाए।

बिजली आपूर्ति बाधित होने पर जताई नाराजगी

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के डिंडौरी प्रवास के दौरान भी बिजली गुल होना विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। इस मामले में संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

स्मार्ट फिश पार्लरों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं

मत्स्य विभाग को मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत निर्मित स्मार्ट फिश पार्लरों के अधूरे निर्माण कार्य एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर संचालन प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही इनका शुभारंभ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराने को कहा गया। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को कृषि विभाग की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का नियमित मासिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

सड़क दुर्घटना में घायल गाय की गौसेवकों ने बचाई जान

घायल गौवंश के लिए बना सहारा नंदी गौ सेवा केंद्र, उपचार हेतु शहडोल पहुंचाया

शहपुरा नवभारत 29 जून। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होकर तड़प रहे बेजुबान पशुओं के लिए नंदी गौ सेवा शाहपुरा लगातार सहारा बन रही है। सोमवार को भी संस्था के गौसेवकों ने मानवता और जीव प्रेम की मिसाल पेश करते हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई एक गाय का रेस्क्यू कर उसे बेहतर उपचार के लिए शहडोल स्थित नंदी गौ सेवा धाम पहुंचाया।

इस संबंध जानकारी देते हुए गौसेवकों ने बताया कि सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में गाय का एक पैर बुरी तरह टूट गया था। गंभीर रूप से घायल गाय सड़क किनारे दर्द से तड़प रही थी। घटना की सूचना मिलते ही नंदी गौ सेवा शहपुरा की टीम तत्काल मौके पर पहुंची।

प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया

गौसेवकों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल गाय का सुरक्षित रेस्क्यू किया और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। गाय की हालत गंभीर होने के कारण बिना समय गंवाए उसे विशेष वाहन से शहडोल स्थित नंदी गौ सेवा धाम भेजा गया, जहां पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है।

नंदी गौ सेवा शहपुरा निरंतर कर रही गौवंश की सेवा

नंदी गौ सेवा शहपुरा लंबे समय से घायल, बीमार और बेसहारा गौवंश की सेवा में निरंतर कार्य कर रही है। संस्था को जब भी किसी घायल पशु की सूचना मिलती है, उसकी टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करती है और आवश्यकता अनुसार उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। संस्था के इस सेवा कार्य की क्षेत्रभर में सराहना की जा रही है।

सड़क दुर्घटना में घायल पशुओं को असहाय नहीं छोड़ें

इस सेवा अभियान में नंदी गौ सेवा के अमित रजक, हिमांशु अग्रवाल एवं उनकी समस्त गौ सेवा टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम ने घायल गाय को सुरक्षित उपचार केंद्र तक पहुंचाकर एक बार फिर जीव सेवा और मानवता का परिचय दिया। नंदी गौ सेवा के सदस्यों ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि यदि कहीं भी कोई गाय या अन्य बेजुबान पशु सड़क दुर्घटना में घायल दिखाई दे तो उसे असहाय नहीं छोड़ें, बल्कि तत्काल गौ सेवा समिति या संबंधित विभाग को सूचना दें।

कार्रवाई | वनभूमि अतिक्रमण एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का मामला

शासन को भ्रमित करने वाला पूर्व वनकर्मी गिरफ्तार

चिल्हारी नवभारत 29 जून। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डॉ. अनुपम सहाय एवं उप संचालक योहान कटारा के मार्गदर्शन तथा उप वनमंडलाधिकारी मानपुर नितिन निगम के निर्देशन में मानपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण कराने एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन को भ्रमित करने के गंभीर मामले में वन विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इस संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 10688/01 दिनांक 28 जून पंजीबद्ध किया गया है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि तत्कालीन उमरिया वनमंडल के मानपुर परिक्षेत्र में पदस्थ रहे पूर्व वनकर्मी तितुर सिंह धुर्वे द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज एवं अभिलेख तैयार किए जा रहे थे।

ग्रामीणों को वन भूमि पर अतिक्रमण करने प्रेरित कर रहा था

प्राथमिक जांच में यह भी पाया गया कि उक्त दस्तावेजों के माध्यम से ग्रामीणों को वनभूमि पर अतिक्रमण के लिए प्रेरित करने तथा शासकीय अभिलेखों एवं प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर वनाधिकार पत्र बनवाने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि संबंधित व्यक्ति वर्तमान में किसी भी प्रकार के शासकीय पद पर कार्यरत नहीं है।

लेन-देन एवं सौदेबाजी करते हुए पकड़ा गया

इसी दौरान प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर मानपुर बफर वन परिक्षेत्र अधिकारी अंकित सोनी एवं वन विभाग के स्टाफ द्वारा ग्राम बिजुरी में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी को कथित रूप से वनाधिकार पत्र बनवाने के लिए लेन-देन एवं सौदेबाजी करते हुए पकड़ा गया। इसके उपरांत आरोपी से पूछताछ की गई तथा उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इनका कहना है

प्रकरण की जांच जारी है तथा संबंधित व्यक्तियों के कथनों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण, कूटरचना तथा शासकीय अभिलेखों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

वन विभाग, मानपुर परिक्षेत्र, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया

पंप हाउस से 151.92 लीटर अवैध शराब बरामद

▸ अमरपुर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

चिल्हारी नवभारत 29 जून। जिले के अमरपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंप हाउस में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है।

चौकी प्रभारी अभिलाष सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कुल 151.92 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 70 हजार बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम ने पंप हाउस का ताला खुलवाकर अंदर शराब से भरे कार्टून मिले। जांच में 94 पाव अंग्रेजी शराब तथा 15 सीलबंद पेटियों में 750 पाव देशी शराब बरामद हुई। पूरी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया।

आरोपी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया-पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपी भैया उर्फ सुशील रौतेल से शराब के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने रवि सिंह निवासी डिघिय के साथ मिलकर कम कीमत पर शराब खरीदकर पंप हाउस में छिपाकर रखी थी, ताकि बाद में उसकी बिक्री की जा सके।

आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज-पुलिस ने आरोपी सुशील रौतेल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं, फरार आरोपी रवि सिंह की तलाश तेज कर दी गई है। अमरपुर चौकी प्रभारी अभिलाष सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। क्षेत्र में पुलिस की इस त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की आमजन द्वारा सराहना की जा रही है।

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद जिला उमरिया (म.प्र.)

पता वार्ड क्रमांक 08, पीपल चौक, नौरोजाबाद जिला उमरिया (म.प्र.) दूरभाष क्रमांक- 07653 292519
E-Mail- cmonorojabad@mpurban.gov.in

क्रमांक-779/न.परि./ स्व.भा.मि./ 2026 | **-: सार्वजनिक सूचना:-** | नौरोजाबाद, दिनांक- 29/06/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि केन्द्र सरकार के संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अंतर्गत, कचरा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब 4-कचरा पात्र (4-Dustbins) प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। निकाय क्षेत्रांतर्गत सभी नागरिकों, संस्थानों, दुकानदारों और सोसायटियों से अनुरोध है कि वे अपने कचरे को स्रोत पर ही निम्नलिखित चार श्रेणियों में (1. गीले कचरे के लिए (जैसे- रसोई का बचा हुआ खाना, फल-सब्जियों के छिलके, फूल, पत्ते आदि) 2. सूखे कचरे के लिए (जैसे- प्लास्टिक, कागज, गत्ता, कांच, धातु और सूखे रैपर) 3. सैनिटरी कचरे के लिए (जैसे- इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन, डायपर, पट्टियाँ और टिश्यू पेपर) 4. घरेलू हानिकारक और खतरनाक कचरे के लिए (जैसे- दवाओं के खाली रैपर/पत्ते, एक्सपायरी दवाएं, बल्ब, ट्यूबलाइट, पेंट के डिब्बे और ई-कचरा) अलग करें और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहन में उसी खंड के अनुसार बॉक्स में डालें।
यदि उक्त नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध दंडणात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं राशि रुपये 200 प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)